MONTESQUIEU

Concept of Liberty and Sepration of Power

अपने युग की समस्याओं की ~~की~~ समस्याओं का समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करने वाला विचारक मान्टेस्क्यू पहला राजनीतिक चिन्तक था उसने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कानून की आत्मा' (The Spirit of Laws) में जिन विषयों पर विचार किया, उनमें सबसे महत्वपूर्ण 'स्वतन्त्रता' है। इसी स्वतन्त्रता की धारणा से 'शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त' की उत्पत्ति हुई।

मान्टेस्क्यू के अनुसार, "स्वतन्त्रता उन कार्यों को करने का अधिकार है, जिनकी अनुमति कानून देता है और यदि कोई नागरिक ऐसे कार्यों को कर सकता है जिनकी अनुमति कानून नहीं देता है, तो वह व्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं रह जायेगा, क्योंकि उसके सभी साथियों को भी ऐसी शक्ति प्राप्त रहेगी।"

लोगों ने स्वतन्त्रता का भिन्न-भिन्न अर्थ लगाया है — किसी ने उसे शासकों का चुनाव एवं अपदस्थ से लगाया है तो किसी ने शोषित करने के अधिकार से।

मान्टेस्क्यू के अनुसार, "स्वतन्त्रता का अर्थ राजनीतिक सत्ता पर ऐसे प्रतिबन्धों से है जिससे किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सके जिन्हें करने के लिए कानून बाध्य नहीं करता है और न किसी को ऐसे कार्य करने से रोका जा सके जिन्हें करने की कानून आज्ञा देता है।"

अतः मान्टेस्क्यू ने स्वतन्त्रता का अर्थ बिना किसी खतरे के भय से शासन संचालन का शोषण एवं संचालन को माना है। और ऐसा तभी सम्भव है जब शासन सत्ता का प्रयोग करने वाले अधिकारियों की शक्ति आवश्यक रूप से सीमित एवं प्रतिबन्धित हो।

~~शासन~~ शक्ति पृथक्करण —

क्योंकि शासन शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा

अत्यन्त प्राचीन है। अरस्तू, मार्सिलियो एवं आधुनिक युग में बोदां ने इसका उल्लेख किया है। किन्तु इसका विधिवत् प्रतिपादन मान्टेस्क्यू ने ही किया। मान्टेस्क्यू इंग्लैण्ड में स्थापित शासन व्यवस्था से बहुत प्रभावित था जहाँ शासन शक्ति केवल राजा में ही नहीं वरन् न्यायालय एवं संसद में भी था इसी शक्ति पृथक्करण के कारण वहाँ नागरिकों को भी राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी मान्टेस्क्यू ने लिखा है कि — प्रत्येक सरकार में तीन प्रकार की शक्तियाँ होती हैं — व्यवस्थापिका सम्बन्धी, शासन सम्बन्धी (जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित से सम्बन्धित हो) पुनः शासन सम्बन्धी (जो नागरिक कानून से सम्बन्धित है।)

प्रथम में राजा या शासक अस्थायी या स्थायी कानूनों का निर्माण करते हैं। दूसरी के अनुसार सन्धि करता है अथवा युद्ध की घोषणा करता है + साथ ही सार्वजनिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है। तीसरी के अनुसार वह नागरिकों के जीवन को नियंत्रित करता है।

पुनः मान्टेस्क्यू का मानना है कि यदि व्यवस्थापन एवं शासन सम्बन्धी शक्तियाँ जब किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में निहित हो जाता है तो स्वतन्त्रता का अस्तित्व और का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अतः न्याय सम्बन्धी शक्ति को व्यवस्थापन एवं शासन सम्बन्धी शक्ति से पृथक होना आवश्यक है। अतः मान्टेस्क्यू शासन शक्तियों के एक ही स्थान पर केन्द्रीकरण के विरुद्ध थे। ताकि शक्ति पृथक्करण के द्वारा प्रत्येक शक्ति मर्यादित रहे। अतः वह चाहता था कि

शासन में 'एक शक्ति दूसरी शक्ति का नियंत्रण करे।' और यह तभी सम्भव है कि जब शासन में सन्तुलन एवं नियंत्रण कार्य करे। ऐसी अवस्था में ही नागरिकों को वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकती है।

यद्यपि शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त की उपयोगिता सर्वविदित है तथापि कई दृष्टिकोण से इसकी आलोचना भी की गई है।

- शक्ति का पूर्ण पृथक्करण सम्भव नहीं — आलोचकों ने सरकार की तुलना मानव शरीर से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार शरीर से उसके अंगों को पृथक नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार सरकार के विभिन्न अंगों को पृथक करना सम्भव नहीं है। अमेरिका में भी इस सिद्धान्त को 'नियंत्रण एवं सन्तुलन के सिद्धान्त' के साथ ही स्वीकार किया गया है।

- शक्ति पृथक्करण वांछनीय नहीं — आधुनिक युग में सरकार के तीनों अंगों में घनिष्ठ सम्बन्ध को अत्यन्त महत्व दिया गया है ताकि वह अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में यदि सहयोग एवं समन्वय नहीं हुआ तो विकास की गति रुक जायेगी।

→ ऐतिहासिक दृष्टि से गलत → आलोचकों का मानना है कि इंगलैण्ड में केवल शक्ति-पृथक्करण के कारण ही नागरिक स्वतन्त्रता का अस्तित्व नहीं है बल्कि वहाँ की संसदीय व्यवस्था है जहाँ कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में परस्पर सहयोग की भावना है न कि विरोध का।

— पुनः स्वतन्त्रता के लिए शक्ति - पृथक्करण अनावश्यक है। यह ~~सं~~ संविधान की आत्मा एवं उसके प्रयोग पर निर्भर करता है।

— यह सिद्धान्त शासन के तीनों अंगों को समान मानता है। आलोचकों का मानना है कि व्यवस्थापिका अन्य अंगों की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह जनता का प्रतिनिधित्व करता है।

— पुनः जनता द्वारा पृथक पृथक निर्वाचन होने से न्यायपालिका की निष्पक्षता समाप्त हो जायेगी।

— आज समाजवादी और लोककल्याणकारी राज्य की ~~धा~~ अवधारणा जोर पकड़ चुकी है। इसमें राज्य के कार्यों एवं ~~उ~~ उत्तरदायित्वों में काफी वृद्धि हो गयी है। इनकी सफलतापूर्वक निर्वाह के लिए शासन के तीनों अंगों में सहयोग एवं समन्वय आवश्यक है।

इन आलोचनाओं के बावजूद मान्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का आधुनिक युग की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। ~~फ्रांसी~~ फ्रांसीसी क्रान्ति के पश्चात स्थापित गणतंत्र के संविधान में शक्ति पृथक्करण को पूर्ण मान्यता दी गई। पूर्ण अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। फ्रांस एवं अमेरिका के अलावे विश्व के अन्य देशों में भी इस सिद्धान्त को अपनाया गया।

नागरिकों को शासकीय अत्याचारों से रक्षा और उनकी स्वतन्त्रता के बचाव के लिए यह सिद्धान्त एक अत्यन्त उपयुक्त व्यवस्था साबित हुई है।

राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में यह ~~व्यवस्था~~ सिद्धान्त मान्टेस्क्यू की एक अमर देन है।

—a—